सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 20, सोमवार, *शाके 1946*- नवम्बर 11, *2024*	
Kartika 20, Monday, Saka 1946- November 11, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2024

संख्या प.31(2)गृह-9/2023 :-यतः मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.31(2)गृह-9/2023 दिनांक 21.04.2023, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 26.06.2023 को किया गया था, में वर्णित क्षेत्र, ग्राम जेठवाई, जिला जैसलमेर के खसरा नं 121/351, 125/352, 126/353 रकबा 125.17 बीघा भूमि को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2043 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु 191वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, ग्राम जेठवाई, जिला जैसलमेर को फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

यतः उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त फील्ड फायरिंग रेंज हेतु, अधिसूचना क्रमांक प.31(2)गृह-9/2023 दिनांक 14.08.2023, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 18.08.2023 में किया गया था, में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र को या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग को चांदमारी तथा तोपखाने का अभ्यास अधिकृत करने हेतु एक विज्ञप्ति जारी करने का अपना आशय विज्ञापित किया गया था।

अतः अब मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में दिनांक 31 मार्च 2043 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा

तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु अधिकृत करती है तथा उक्त क्षेत्र को भविष्य में 191वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, ग्राम जेठवाई, जिला जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाएगा।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम जेठवाई, जिला जैसलमेर के खसरा नं 121/351, 125/352, 126/353 रकबा 125.17 बीघा।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,

शासन उप सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।